## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
## पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता R.A.S.

वाद संख्या 125/2013
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

तलवीरसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह, जटसिख, चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ....वादी

बनाम

1. करतारसिंह आत्मज श्री इन्द्रसिंह, सिख, चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। ....वादीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश वत्तरा (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी संख्या 02)

**दिनांक :– 30 दिसम्बर, 2024**

### – आदेश –

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/76 मुरब्बा नम्बर 5 के 2.150 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 71 के 1.721 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 80 के 6.135 हैक्टर कुल 10.006 हैक्टर कृषि भूमि स्व. श्री जंगसिंह आत्मज श्री दलसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज थी जिसमें से स्व. श्री जंगसिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 58 के 24.05 बीघा बारानी कृषि भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 22 में 1.00 बीघा कुल 25.05 बीघा कृषि भूमि विक्रय विलेख दिनांक 02 फरवरी, 1971 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रय की गयी। इस प्रकार स्व. जंगसिंह का उक्तांकित बिक्रीत कृषि भूमि कुल 25.05 बीघा से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा। विक्रेता श्री जंगसिंह की मृत्यु के कारण प्रश्नगत बिक्रीत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं होने के कारण स्व. श्री जंगसिंह की मृत्योपरान्त कुल 10.006 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरकरण स्व. जंगसिंह के वारिसान सर्वश्री हरबंससिंह पुत्र, श्रीमती बुधा पुत्री के नाम पर दर्ज किया गया। किन्तु बिक्रीत कृषि भूमि की सीमा तक उक्त नामान्तरकरण प्रभावशून्य है क्योंकि बिक्रीत कृषि भूमि 25.05 बीघा पर स्व. जंगसिंह के वारिसान का कभी कब्जा नहीं रहा व न ही उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार ही है। केता श्री करतारसिंह द्वारा भी कभी उक्तांकित कयशुदा कृषि भूमि पर कभी काश्त नहीं किया गया बल्कि वादी ही सन् 1971 से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा सिंचाई सुविधाओं का उपयोग कर, कृषि भूमि का मामला इत्यादि जमा करवाता आ रहा है। चूंकि पूर्व में वादी के पिता प्रश्नगत कृषि भूमि काश्त करते रहे थे इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि की पानी की पर्चियां वादी के पिता के नाम पर चलती आ रही है। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त होकर वादी में निहित हो चुके हैं जिस पर वादी द्वारा भारी मेहनत एवं स्वयं कर सुधार कार्य किये गये हैं जिसके [illegible] भूमि के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि होने के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या [illegible] परिवार लालचवश वादी को विधि विरूद्ध बेदखल कर कब्जा [illegible] करने में प्रयासरत हैं। यदि प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वादी को उक्त रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा अपनी खातेदारी घोषित करवाना एवं राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना जरूरी हो गया है। इस प्रकार वादी द्वारा चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58(24.05) बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 22(1.00) कुल 25.05 बीघा वर्तमान खाता संख्या 81/76 मुरब्बा नम्बर 5, 71 एवं 80 के रूप में दर्ज है, वादी के कब्जा काश्त, सिंचाई व्यवस्था, उपयोग एवं उपभोग में स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बाज व ममनू रहे। उक्त आराजी 25 बीघा 5 बिस्वा का वादी को कब्जा कास्त के आधार पर खातेदार कास्तकार हकदार मान कर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज करवाया जावे मगर वह

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:45 IST
Reason: SelfAttested

टाल मटोल करते हुए दिनांक 19.08.2007 को जरिये परिवार साफ इन्कार कर दिया। इसी कारण दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया। उक्त आराजी अदालत वाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 02 लेण्ड होल्डर होने से जरूरी पक्षकार है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे:– (क) चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58 के 24.5 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 22 के 1 बीघा, इस प्रकार कुल 25.05 बीघा जो कि वर्तमान खाता संख्या 81/76 मुरब्बा नम्बर 5, 71 एवं 80 के रूप में दर्ज है, का वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हकदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रकबा की हद तक उसके नाम से खातेदारी दर्ज किया जावे। (ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वादी को उक्त आराजी 25.05 बीघा से जबरन खिलाफ कानून बेदखल करने से बाज व ममनू रहे। (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। (घ) अन्य अनुतोष जो हित में हो देवे।

प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादी संख्या 02 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा उपस्थित आकर जवाब वादपत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त शीर्षक के मूल वाद अनुसूचित जाति से सम्बन्धित खातेदार की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा अतिकमण कर कब्जा के आधार पर अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से वादी को प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार सृजित नही होते हैं। इसलिये विचाराधीन वादपत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार वाद पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्ता एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं जवाब राज्यपक्ष का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया. एवं माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा न्यायिक द्वष्टांत 2015 आर.आर.डी 556 का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रश्नगत कृषि भूमि चक 4 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 81/76 मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 58 के 24.05 बीघा बारानी कृषि भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 22 में 1.00 बीघा कुल 25.05 बीघा कृषि भूमि पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 02 फरवरी, 1971 के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को विक्रीत किया गया है। उक्त शीर्षक वाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अतिकमण कर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने को कोई प्रावधान नही है। ऐसा मत माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा 20[illegible] 556 में प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिय[illegible]ानो के विपरित होने से आवेदक का प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार सृजित नही होते है। अतः विचाराधीन वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:45 IST
Reason: SelfAttested

|| आदेश ||

वादी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा एवं राज पैरोकार की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है। वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(स्वाति गुप्ता)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर